प्रेषक

संख्या– 6969 / III(2) / 13-38(प्रा0आ0) / 2013

महिमा,
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 14 दिसम्बर, 2013

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 13 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 13 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 58.00 किमी0 + 10 सेतु तथा लागत ₹ 420.74 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत **₹ 417.93 लाख** (₹ चार करोड़ सतरह लाख तिरानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 13 कार्य हेतु ₹ 1.30 लाख (₹ एक लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/ III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सडक/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पुरोला (उत्तरकाशी)

(8) (6)

शासनादेश संख्या:- 6969/111(2)/13-38(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 407/2013 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड-भिलंगना में मुयालगांव-तोणखण्ड- बमोली मोटर मार्ग का स्टील गर्डर मोटर सेतु सहित निर्माण।	4.50 + 01brg	53.93 (₹ 28.01 + ₹ 25.92 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 140/2012 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में जखवाड़ी-मल्ली-मगरूखाल से घुत्तू भिलंगना तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	25.00	249.75 (₹ 146.25 + ₹ 103.50 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
3	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-116/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड-रायपुर में सहस्त्रधारा रोड़ दुर्गा एन्कलेव में आर0सी0सी0 सेतु का निर्माण कार्य।	12.00	0.84	0.10
4	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-116/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड-रायपुर में नालापानी राव नदी पर ननूरखेड़ा व मंगलूवाला को जोड़ने हेतु 30.00 मी0 स्पान (डबल लेन) के प्रीस्ट्रेस कंक्रीट पुल का निर्माण कार्य।	30 mt	3.08	0.10
5	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-116/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड-रायपुर में राजेश्वरी नगर में नर्सरी के पास दुल्हनी नदी को जोड़ने हेतु 70.00 मी0 स्पान (सिंगल लेन) के प्रीस्ट्रेस कंक्रीट पुल का निर्माण कार्य।	70 mt	6.68	0.10
6	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-116/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड-रायपुर में वाणी विहार में 30 मी0 प्रीस्ट्रैस सेतु का निर्माण कार्य।	30 mt	2.40	0.10
7	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-238/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-नौगाव में भंकोली से छमरोटा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00 + 30mt	55.62 (₹ 36.60 + ₹ 19.02 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
8	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-394/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-मोरी में रूपिन नदी पर धौला स्थान में 43 मी0 स्पान का लौह मोटर सेतु का निर्माण।	42 mt	3.36	0.10
9	जनपद नैनीताल के विकासखण्ड-ओखलकाण्डा में ग्राम कैडागांव के पास लधिया नदी पर 60 मी0 विस्तार पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य।	60mt	3.66	0.10

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पुरोला (उत्तरकाशी)

3/359/1A
30/01/014

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 601/XXVII/(2)/2013 दिनांकः 11 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,
(महिमा)
अनु सचिव

संख्याः- (1)/III(2)/13-38(प्रा0आ0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

JE(T)/बजट सहा.

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
(उत्तरकाशी)

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव

पृष्ठांकन संख्या : 266/20 ... दि० 25/1/2014

प्रतिलिपि: अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, बड़कोट पुरोला को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि।

प्रतिलिपि: वरिष्ठ अभियन्ता (प्रा०)/बजट को/G.O. File/...

संलग्नक: यथोपरि।

शासनादेश संख्याः– 6969/III(2)/13–38(प्रा0आ0)/2013 दिनांक 14 नवम्बर, 2013 का संलग्न

10	जनपद देहरादून के विकासखण्ड–सहसपुर में ग्राम पंचायत पुरूकुल गांव (जसपुर) से ग्राम पंचायत सिंगली तक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00 + 24mt	13.62	0.10
11	जनपद देहरादून के विकासखण्ड–सहसपुर में ग्राम पंचायत रिखोली के हल्दुवाला से ग्राम पंचायत चौकी विरावडी तक सेतु सहित मोटर मार्ग का निर्माण।	2.50 + 24 mt	16.31	0.10
12	जनपद देहरादून के विकासखण्ड–सहसपुर में एल0के0डी0 मोटर मार्ग के किमी0 4 से गददुवाला चौंक तक मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण।	1.00 + 18mt	1.43	0.10
13	जनपद देहरादून के अन्तर्गत विकासखण्ड–सहसपुर में ग्राम पंचायत गल्जवाड़ी के इन्दिरा नगर से जैदड़ तक मोटर मार्ग का पुनःनिर्माण कार्य।	5.00	7.25	0.10
	योगः–	**58.00 + 10 brg**	**417.93**	**1.30**

(कुल ₹ एक लाख तीस हजार मात्र)

महिमा
(महिमा)
अनु सचिव

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ0 सं0 2419 / 20 या0/का0 5/13 दिनांक 20/12/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1- मुख्य अभियन्ता ग0/ग0 से0, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।
2- अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय/षष्ठम्/अष्टम्/नवम् वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल/उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून।
3- बजट/प्राविधिक वर्ग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग देहरादून।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

255- यातायात
24-01-2014

पृ0 सं0 - 2627/07 बजट - पी.डब्लू.डी./13 दिनांक 8/1/014
प्रतिलिपि अधी0 अभि0 6 8 19 वृत्त लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रति प्रा0 ग्रा0 गे0 का0 लो0नि0वि0 पौड़ी।

19/12/13

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0)
लो0 नि0 वि0 पौड़ी गढ़वाल

2627
30/12/013

[illegible] 24 JAN 2014
[illegible] लो0नि0वि0 [illegible]

20/1/14
30/1/

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता-II
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
[illegible] (उत्तरकाशी)